IW-11011(99)/25/2020-SECTION(IW)-Dept. of IW-Part(1)

1/440928/2023

Government of West Bengal Irrigation & Waterways Department Jalasampad Bhaban, 3rd Floor, Western Block Bidhannagar, Salt Lake City, Kolkata-700 091 No.2574-IE Date26/09/2023

From: The Assistant Secretary to the Government of West Bengal.

To:

- 1. The Chief Engineer, South, I & W Directorate.
- 2. The Chief Engineer, West, I & W Directorate
- 3. The Chief Engineer, South West, I & W Directorate
- The Director of Personnel & Ex. Officio Chief Engineer, I & W Directorate
- 5. The Chief Engineer, North, I & W Directorate
- 6. The Chief Engineer, (Design & Research), I & W Directorate
- 7. The Chief Engineer, North East, I & W Directorate
- 8. The Chief Engineer, Teesta Barrage Project, I & W Directorate
- 9. The Chief Engineer (Mechanical & Electrical), Irrigation & Waterways Directorate
- The Chief Engineer (Project Director, WBMIFMP), Irrigation & Waterways Directorate,

<u>Subject: Vacancy Circular for filling up three(03)Statutory posts of</u> <u>Brahmaputra Board on deputation (including short term contract) basis-</u> <u>regarding.</u> **Ref: Memo no. A. 12023/3/2023-E-III/927 dated 21.08.2023 of the Under** <u>Secretary to the Government of India.</u> The undersigned is directed to enclose the above referred memorandum and request them to circulate the same to their subordinate offices to take necessary actions from their end.

Enclo: As stated above.

Sdf

Assistant Secretary to the Government of West Bengal

No.2574/1(2)-IE

Date:26/09/2023

Copy forwarded for information and necessary action to:

- 1. P.A to the Secretary, I&W Department.
- 1. The Executive Engineer, DVC Study Cell, I&W Dte.----With a request to upload the same in this Department's official website.

Assistant Secretary to the Government of West Bengal

I



То

- Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi, dated 21 August 2023
- 1. The Secretaries of all Ministries/ Departments of Govt. of India:
- 2. Chief Secretaries of all State Govts./ UT Administration.
- 3. All organisations under D/oWR,RD&GR.

Subject: Vacancy Circular for filling up three (03) Statutory posts of Brahmaputra Board on deputation (including short term contract) basis – regarding.

Sir,

I am directed to say that applications are invited for filling up the following posts in the Brahmaputra Board, Guwahati, which is a Statutory Body, under this Department :-

S.No.	Name of Post	Pay Scale	Posts
1	Chairman	L-15 (Rs. 1,82,200- 2,24,100/-)	1
2	Financial Adviser	L-14 (Rs.144200-218200/-)	1
3	Secretary	L-13A (Rs.131100-216600)	1

2. Details of these posts along with its eligibility criteria for each post are given in the Annexure-I to IV of this Circular.

3. Appointment on deputation basis in respect of a serving Central Government Officer will attract benefits as provided under the Department of Expenditure's O.M. No. 11(2)/97-E.II(B), dated 22.09.1998, O.M. No. 11(6)/2008-E.II(B), dated 02.04.2013 and O.M. No. 28/1/2017-E.II(B), dated 14.08.2018, as amended from time to time.

4. In respect of applicants borne in the Cadre of Central Water Engineering(Group-A) Service of this Department, the period of appointment on deputation basis in the Brahmaputra Board shall be counted as "Field Experience" for consideration of their promotion in the SAG of the same service.

5. All organizations are hereby requested to give wide publicity to this Circular among their officers and nominate eligible and willing officers for consideration of appointment in the aforementioned posts, to Shri Rajesh Kaushik, Under Secretary(E-III), Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi- 110001, <u>withIn 60 days</u> from the date of publication of this advertisement in the Employment News.

Yours faithfully,

(Rajesh Kaushik) Under Secretary to the Government of India Tel No. 011-23766160 Email: rkaushik@nic.in

Annexure-I

Details of eligibility criteria for the post of Chairman, Brahmaputra Board are mentioned below:-

Post 1: Chairman

Applications are invited for filling up of the 01 (one) post of Chairman in Level-15 (Rs.1,82,200-2,24,100/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The Chairman is the head of the Brahmaputra Board. He is overall in-charge of the Board and is responsible for its efficient and smooth functioning. He has to exercise such of the powers and discharge such of the duties as are given in the Brahmaputra Board Act and Rules and also as may be delegated to him by the Board from time to time.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation (including short term contract):

(A) Officers under the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or recognized Research Institutions or Autonomous. Bodies or Statutory Organisations:-

(a)(i) holding an analogous post on regular basis in parent cadre or department; or (ii) holding the post in the grade in level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) in the pay matrix or equivalent with three years regular service; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:

(i) Degree in Civil Engineering from a recognized University; and

(ii) Eighteen years' experience in the field of Investigation or Planning or Design or Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment or Administration or Management; or

(iii) Eighteen years' experience in the preparation of Master Plans or Comprehensive Plans for Flood Management or River Training Works or General Administration.

(B) All India Service officers:

(i) holding an analogous post in the Central Government or State Government on regular basis; or

(ii) with three years' regular service in level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) in the pay matrix or equivalent in Central Government or State Government; and

(III) Eighteen years experience in the field of investigation or Planning or Design or Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment or Administration or Management.

4. <u>PERIOD OF DEPUTATION:</u>

The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government or State Governments shall not exceed five years.

5.

AGE: The maximum age limit for appointment by deputation or short term

contract appointment shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.

6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.

7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).

9. Applications with full particulars of the applicant in <u>Annexure-IV</u> should reach to Shri Rajesh Kaushik, Under Secretary(E-III), Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001, <u>within 60 days</u> from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.

10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years and (v) Integrity Certificate and (vi) Cadre Clearance. All the requisite information/ documents should be as per the proforma in <u>Annexure-IV</u>.

11. The details of advertisement and the application forms can also be downloaded from this Department's website: http://jaishakti-dowr.gov.in.

1. Name of Post

: Chairman, Brahmaputra Board, a statutory

body

- 2. Number of Posts
- 3. Classification
- 4. Level in the pay matrix
- 5. Period of deputation
- 01 (one)
- : Group 'A', Non-Ministerial
- : Level-15 (Rs.1,82,200-2,24,100/-)
- : The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government or State Governments shall not exceed five years.

- of the post
- 7. Pay & Allowances
- 8. Qualifications, Experiences : and Eligibility required for the post
- 6. Duties and responsibilities : The Chairman is the head of the Brahmaputra Board. He is overall in-charge of the Board and is responsible for its efficient and smooth functioning. He has to exercise such of the powers and discharge such of the duties as are given in the Brahmaputra Board Act and Rules and also as may be delegated to him by the Board from time to time.

The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time),

Deputation (including short term contract):

(A). Officers under the Central Government or State Government or Public S ector Undertakings. or recoanized Research Institutions or Autonomous Bodies or statutory organisations:

(a)(i) holding an analogous post on regular basis in parent cadre or department; or

(ii) holding the post in the grade in level-14 (Rs. 1,44,200-2,18,200/-) in the pay matrix or equivalent with three years regular service; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:

(i)Degree in Civil Engineering from a recognized University; and

(ii) Eighteen years' experience in the field of Investigation or Planning or Design or . Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment Administration or or Management: or

(III) Eighteen years' experience in the preparation of Master Plans or Comprehensive Plans for Flood Management River Training Works or or General Administration,

(B). All India Service officers:

(i) holding an analogous post in the Central Government or State Government on regular basis; or

(ii) with three years regular service in tevel-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) in the pay matrix or equivalent in Central Government or State

Government; and

(III) Eighteen years' experience in the field of Investigation or Planning or Design or Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment or Administration orManagement.

Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

The maximum age limit for appointment by deputation or short term contract appointment shall be not exceeding fifty eight years as on the closing date of receipt of applications.

9. Age

<u>Annexure-II</u> .

Details of eligibility criteria for the post of Financial Adviser are mentioned below-

Post-2: Financial Adviser

Applications are invited for filling up of the one (01) post of Financial Adviser in the Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The Financial Adviser shall be under the administrative control of the Board. He shall advise the Board on all matters relating to revenue and expenditure. He shall have the right to refer to the Board any matter which in his opinion ought to be brought to its notice. He shall be responsible for the maintenance of the accounts of the Board and conduct internal audit of these accounts. He shall also exercise such powers and duties as prescribed in the rule 16 of the subordinate legislation under the Brahmaputra Board Act, 1980.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation (including short-term contract) :

Officers in the Indian Audit and Accounts Service or Indian Defence Accounts Service or Indian Railway Accounts Service or Indian Post and Telegraphs (Finance and Accounts Service) or Indian Civil Accounts Service:-

(i) holding an analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) holding the post in level-13A (Rs.1,31,100-2,16,600/-) or level-13 (Rs.1,18,500-2,14,100/-) in pay matrix or equivalent with two or three years regular service respectively in the grade; or (iii) Qualified Chartered Accountant or Cost Accountant or M.B.A. with specialization in Finance with experience of at least fifteen years in handling Corporate accounting and Corporate finance matters in Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous organisations under Central Government or State Government or State Governments.

4. <u>PERIOD OF DEPUTATION</u>:

The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years.

5. <u>AGE</u>: The maximum age-limit for appointment by deputation or short term contract shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.

6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.

Section of the sector

7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).

9. Applications with full particulars of the applicant in <u>Annexure-IV</u> should reach to Shri Rajesh Kaushik, Under Secretary(E-III), Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi- 110001, <u>within 60 days</u> from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.

10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years (v) Integrity Certificate and (vi) Cadre Clearance. All the requisite information/documents should be as per the proforma in <u>Annexure-IV.</u>

1.	Name of Post	Financial Adviser, Brahmaputra Board
. 2.	Number of Posts	: 01 (one)
3.	Classification	Group 'A', Non-Ministerial
4.	Level in the pay matrix	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-)
5.	Period of deputation	The period of deputation (including short- term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years.
6.	Duties and responsibilities of the post	The Financial Adviser shall be under the administrative control of the Board. He shall advise the Board on all matters relating to revenue and expenditure. He shall have the right to refer to the Board any matter which in his opinion ought to be brought to its notice. He shall be responsible for the maintenance of the accounts of the Board and conduct internal audit of these accounts. He shall also exercise such powers and duties as prescribed in the rule 16 of the subordinate legislation under the Brahmaputra Board Act, 1980.
7.	Pay & Allowances	The officer selected will have the option to

. '			draw his grade pay plus deputation (duty)
			allowance or to have his pay fixed in the
			scale of pay of the deputation post in terms of
			Department of Personnel & Training O.M.
			No.6/8/2009-Estt (Pay II), dated 17.06.2010
			(as amended from time to time).
	8.	Qualifications, Experiences and	: Deputation (including short-term contract) :
		Eligibility required for the post	Officers in the Indian Audit and Accounts
			Service or Indian Defence Accounts Service
			or Indian Railway Accounts Service or Indian
			Post and Telegraphs (Finance and Accounts
			Service) or Indian Civil Accounts Service:-
			(i) holding an analogous post on regular basis
		•	in the parent cadre or department; or
			(ii) holding the post in level-13A
İ			(Rs.1,31,100-2,16,600/-) or level-13
			(Rs.1,18,500-2,14,100/-) in pay matrix or
			equivalent with two or three years regular
			service respectively in the grade; or
			(iii) Qualified Chartered Accountant or Cost
			Accountant or M.B.A. with specialisation in
			Finance with experience of at least fifteen
			years in handling Corporate accounting and
			Corporate finance matters in Central
			Government or State Government or Public
			Sector Undertakings or Statutory or
			Autonomous organisations under Central
j			Government or State Governments.
	-		
			Any officer once selected shall not be allowed
			to withdraw or refuse to join; and it shall be
			the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one
			month of the issue of the appointment order.
ŀ	9.	Age	The maximum age-limit for appointment by
			deputation or short term contract shall not be
			exceeding fifty-eight years as on the dosing
			date of receipt of applications.
L	······	****	
		•	

.

Annexure-III -

Details of eligibility criteria for the post of Secretary are mentioned below-

Post-3: SECRETARY

Applications are invited for filling up the 01 (one) post of Secretary in the Level-13A in the pay matrix (Rs.1,31,100-2,16,600/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The Secretary shall be under the administrative control of the Board. He shall fix the meetings of the Board under the orders of Chairman and issue notices for the Board meetings. He shall prepare List of Business to be transacted at the meetings with explanatory notes on each item and circulate it to other members. He shall prepare the minutes of the proceedings of every meeting. After approval of the minutes by the Chairman, the Secretary shall communicate the decisions to the members of the Board and other authorities. Secretary shall place the Budget proposals prepared by the General Manager in consultation with the Financial Adviser before the Board for its approval.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or State Electricity Boards or Public Sector Undertakings or Statutory organisations or Autonomous bodies or Universities or Recognised research institutions:

(A) (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or

(iii) holding the post in level-12 (Rs.78,800 - 2,09,200/-) in pay matrix with six years' regular service in the grade; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

(I) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent ; and

(ii) twelve years experience in the Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration, or

(B) (i) All India Service officers holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in Central Government or State Governments and having twelve years' experience in Administration; or

(ii) All India Service officers holding the post in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with six years' regular service in Central Government or State Governments and having twelve years' experience in Administration.

Note- The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including Short-term contract) basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

4. <u>PERIOD OF DEPUTATION</u>;

The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

5. <u>AGE</u>:

The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.

6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.

7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt. (Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).

9. Applications with full particulars of the applicant in <u>Annexure-IV</u> should reach to Shri Rajesh Kaushik, Under Secretary(E-III), Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi- 110001, <u>within 60 days</u> from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.

10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years (v) Integrity Certificate and (vi) Cadre Clearance. All the requisite information/documents should be as per the proforma in <u>Annexure-IV.</u>

1.	Name of Post	: Secretary, Brahmaputtra Board, a statutory body
2.	Number of Posts	: 01 (one)
3.	Classification	: Group 'A', Non-Ministerial
	Level in the pay matrix	: Level-13A in the pay matrix (Rs.1,31,100 – 2,16,600/-)
5.	Period of deputation	The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex- cadre post held immediately preceding this

	-		appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
	6.	Duties and responsibilities of the post	The Secretary shall be under the administrative control of the Board. He shall fix the meetings of the Board under the orders of Chairman and issue notices for the Board meetings. He shall prepare List of Business to be transacted at the meetings with explanatory notes on each item and circulate it to other members. He shall prepare the minutes of the proceedings of every meeting. After approval of the minutes by the Chairman, the Secretary shall communicate the decisions to the members of the Board and other authorities. Secretary shall place the Budget proposals prepared by the General Manager in consultation with the Financial Adviser before the Board for its approval.
-	7.	Pay & Allowances	The officer selected will have the option to
		3	draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the
		н. Н	scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010
		Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post	(as amended from time to time). Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or State Electricity Boards or Public Sector Undertakings or Statutory organisations or Autonomous bodies or Universities or Recognised research institutions;
			 (A) (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 - 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or (iii) holding the post in level-12 (Rs.78,800 - 2,09,200/-) in pay matrix with six years'
	-	-3 0	regular service in the grade; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent; and (ii) twelve years experience in the Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration, or

• •.

to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.	not be eligible appointment on de term contract) basis shall not be eligit appointment by pror Any officer once sel	grade who are in direct line of not be eligible for co appointment on deputation (officers in the feeder ne of promotion shall consideration for	n; or Service officers holding the post Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay six years' regular service in emment or State Governments twelve years' experience in
The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract)	Age the responsibility of the responsibility of the selection of the selec	shall not be eligible for c appointment by promotion. Any officer once selected sha to withdraw or refuse to join the responsibility of the spor to release the selected offi month of the issue of the app The maximum age for	ilarly, deputationists or consideration for n. shall not be allowed join; and it shall be sponsoring authority officers within one appointment order. or appointment by	epartmental officers in the feeder re in direct line of promotion shall ligible for consideration for on deputation (including Short- t) basis. Similarly, deputationists e eligible for consideration for by promotion. Ince selected shall not be allowed or refuse to join; and it shall be bility of the sponsoring authority he selected officers within one issue of the appointment order. um age for appointment by
	the responsibility of to release the self month of the issue of	shall not be eligible appointment by prom Any officer once sele to withdraw or refuse the responsibility of to release the selec	Sime for otion cted the to the s	epartmer re in dire ligible on depi t) basis. e eligible by prom nce sele or refuse bility of the

.

•

.

• . • • •

• •••

۰.

Annexure-IV

Bio Data Proforma

- 1. Name and address (in Block Letters) : Telephone Number :
- 2. Date of Birth (in Christian era) :
- 3. Date of retirement under Central Government Rules:
- 4. Educational Qualifications:
- 5. Whether educational and other qualifications required for the posts are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to those prescribed in the rules, state the authority for the same)

Qualifications / Experience	Qualifications / Experience possessed by the Officer
Required	
Essential	
Desirable	

- 6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post.
- 7. Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient)

	Post held and service / cadre to which it belongs	From	То	•	Nature of duties
L					

- 8. Nature of present employment, i.e.,
- i. Ad-hoc basis
- ii. Regular / on temporary basis
- iii. Level in the pay matrix
 - 9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state:
 - a. The date of initial appointment
 - b. Period of appointment on deputation/contract
 - c. Name of the parent office/organisation to which you belong
 - 10. Additional details about present employment. Please state whether working under:
 - a. Central Government
 - b. State Government
 - c. Autonomous organisation
 - d. Government Undertaking
 - e. Universities
 - 11. Are you in the Revised Pay Structure? If yes, give the Date from which the revision took place and also Indicate the pre-revised scale
 - 12. Total emoluments per month now drawn:

13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.

14. Whether belonging to SC/ST

15. Remarks

Signature of the candidate

Date :

It is certified that information furnished by the applicant is verified with his / her service record and found correct.

Countersigned with office seal by the authorized signatory of the parent office

Signature of the Competent Authority

VIGILANCE CLEARANCE CERTIFICATE

Certified	that	ло	vigilance	case	or	disciplinary	proceedings	or	criminal	ргос	eeding	js is	either
pending				or			contemp						gainst
Dr./Shri/S	Smt./N	∕ls	· · · · · · · · · · · · · · ·					,				., wh	has
			e post				··········						the
											on	depu	tation

basis.

. .

(Authorised signatory) Name & Office Seal : Date:

NO PENALTY CERTIFICATE

Certified	that	no	minor/m	ajor	penalty	has	been	imposed	during	the	last	ten	years	on
Dr./Shri/S	Smt./N	/is											who	has
applied														the
			<u> </u>								0	n	deputa	ition

basis.

(Authorised signatory) Name & Office Seal : Date:

INTEGRITY CERTIFICATE

	fter		scrutin			Report		of
Dr./Shri/S	Smt./N	/ls			 		, who	has
applied	for	the	post	of	 		in	the
					 	on	deputa	ation

basis, it is certified that his/her integrity is beyond doubt.

(To be signed by an officer of the rank of Deputy Secretary or above) Name & Office Seal :

Date:

जल ससाधन नदी विकास और गंगा सरक्षण विभाग जल शांक्त मंत्रालय

унеун Буне 田、も 12023/1/2023-き-川

,तिम किंग्र, स्टिम संस

नई दिल्ली, दिनाक : 21 अगस्त, 2023

विकास के ग्रिसिकी/फ्रिलाहम सिम के प्रकाम गराह 佑 1655

सभी राज्य सरकारो/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यि सचिव। 5.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरक्षण विभाग के अतर्गत सभी संगठन। 3'

ानाशकप क स्थारती गर्भ के भिर कि पिय का प्रकाशना विषयः बहमपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित) आधार पर तीन (03)

,ਸਨੀਟਥ/ ਸਨੀਟਥਾ,

1.

:5 तिरु ग्रेसी तहींसास कड़वास ग्रेती के दिरु तडीकीम्प्पूर्ल उरे अधीन एक साविधिक निकाय, बहमपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, में प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविद्य सहित) आधार मुझे यह कहने का जिदेश हुआ है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरक्षण विभाग के

3	मजित	(न्यत (हमद 131100-216600/-)	L
.Z.	ग्राकड़ालम घतिनी	(-14 (रुपर 144200-218200/-)	L
L	HETH	(-\00142200-224100/-) टी-रनर	۔ ا
.形	मद का लाम	वेतन स्तर	2h

हि गर्म गर्भ 2. इस परिपत्र के अनुतम्बन । से 1V में इन पदी क विवरण सहित प्रत्येक पद की योग्यता का माप्टड

الالكاند ग्रेकी नाउर जिन्हार के (क) الأ-7102/(1)82 माउन नगर प्रजीवक के 8102.8.41 1) (2)/97-ई॥ (बी) और टिलाक कायोलय ज्ञापन स. 11 (6)/2008-ई॥ (बी) और दिलाक أراد (2)/97-वाले लाभ समय न्य यथासशोधित त्यय विभाग के दित्तांक 22.9.1998 के कायोलय जापन संख्या भिर ग्रेडी में धंबम के तर्बाष्ट्रली रुग प्राधास तर्वाष्ट्रलितिय में धंबम के थिंगीयर्भक प्रकाम रूक त्रावर्भ .5

पदोन्नति पर विचार करन का लप फाल्ड अणुणज -.....

5. रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख से, <u>60 दिन के भीतर</u> श्री राजेश कौशिक, अवर सचिव (ई-III), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उक्त पदों में नियुक्ति पर विचार हेतु सभी संगठन द्वारा अपने अधिकारियों के बीच इस परिपत्र का व्यापक प्रचार किया जाए और उस योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों का नामांकन किया जाए।

भवदीय, राजेश की

(राजेश कॉशिक) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाष: 23766160

÷7.

अनुलग्नक-।

अध्यक्ष; ब्रह्मपुत्र बोर्ड के पद के लिएं पात्रता मानदंड का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

पद-1 अध्यक्ष

जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में संसद के एक अधिनियम (1980 का 46) के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय ब्रहमपुत्र बोर्ड गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) पर वेतन मेट्रिक्स में स्तर-15 (1,82,200-2,24,100 रूपए) में अध्यक्ष का एक पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य के संक्षिप्त दायित्व

अध्यक्ष ब्रह्मपुत्र बोर्ड के प्रमुख हैं। वह बोर्ड के संपूर्ण प्रभारी हैं तथा उसके कुशल और सुचारू प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। वह ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिनियमों और नियमों में दिए गए तथा साथ ही समय-समय पर बोर्ड द्वारा प्रत्योजित शक्तियों का पालन करेंगे।

3. <u>पात्रता मानदंड</u>

प्रतिनियुक्ति (लघ् अवधि संविदा सहित):

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा स्वायत निकायों अथवा सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी-

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में जो नियमित आधार पर सदृश्यी पद धारण किए हुए हैं; अथवा

(ii) मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 (1,44,200-2,18,200/-) रूपये अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा दी हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अन्भव होः

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।

(ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में निरीक्षण या आयोजना या डिजाइन या कार्यान्वकयन या संचालन या अनुरक्षण या पर्यावरण अथवा प्रशासन अथवा प्रबंधन में 18 वर्ष का अनुभव और

(iii) बाढ प्रबंधन या नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्यो अथवा सामान्य प्रशासन हेतु मास्टर योजनाओं या व्यापक योजनाओं को तैयार करने में 18 वर्ष का अनुभव।

(ख) अखिल भारतीय सेवा अधिकारी:

i. नियमित आधार पर केन्द्र सरकार या राज्यि सरकार में सदृश्ये पद धारण किए हुए हैं: अथवा
 ii. वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 (1,44,200-2,18,200/-) रूपये अथवा समतुल्य वेतनमान में
 नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा दी हो; और

iii. जल संसाधन विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में निरीक्षण या आयोजना या डिजाइन या कार्यान्वयन या संचालन या अनुरक्षण या पर्यावरण अथवा प्रशासन अथवा प्रबंधन में 18 वर्ष का अनुभव हो।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि

प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित) सामान्यतया केन्द्र सरकार के समान अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग ने इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित) सहित 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 5. <u>आय</u>ु- प्रतिनियुक्ति या लघु अवधि संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. इस पद के लिए अभ्यार्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु का निर्धारण करने के लिए अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्य मुक्त करे।

8. चयनित अधिकारी के पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्पक होगा।

9. <u>अनुलग्नक-IV</u> में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से <u>60 दिन के मीतर</u>, श्री राजेश कौशिक, अवर सचिव(ई-III), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाना चाहिए। सभी आवेदकों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यंम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण ब्यौरे के बिना किए गए आवेदन रदद किए जा सकते हैं।

10. मात्र ऐसे अधिकारी/अभ्यार्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए है और जिनके साथ (i) प्रपन्न में जीवन वृत (चार प्रति) (ii) अवर सचिव श्रेणी के अधिकारी से सत्यापित विगत पाँच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) सतर्कता स्वीकृति (iv) पिछले दस वर्षों के दौरान लगाए गए, यदि कोई हो, बड़ी या छोटी शास्ति का ब्यौररा और (v) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो। सभी अपेक्षित सूचनाएं/दस्तावेज अनुलग्नक-IV में दिए गए प्रॉफोर्मा के अनुसार होनी चाहिए।

11. विज्ञापन और आवेदन का प्रारूप मंत्रालय की वेब साइट- http://jaishakti-dowr.gov.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है ।

1	पद का नाम	अध्यक्ष, ब्रहमपुत्र बोर्ड, एक साविधिक निकाय
2	पदों की संख्या	01 (एक)
3	वर्गीकरण	समूह 'क' अनुसचिवीय

	•	
4	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	लेवल-15 (1,82,200-2,24,100/-)
5	प्रतिनियुक्ति की अवधि	प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित) सामान्य्तय
	5	केन्द्र सरकार के समान अथवा किसी अन्यक संगठन या विभाग
		ने इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्यस संवर्ग बाहय पद पर
		प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित) सहित 5 वर्ष
		से अधिक नहीं होगी।
6	पद के कर्तव्य एवं	अध्यक्ष ब्रहमपुत्र बोर्ड के प्रमुख हैं। वह बोर्ड के संपूर्ण प्रभारी है
	दायित्व	तथा उसके कुशल और सुचारू प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। वह
	· ·	ब्रहमपुत्र बोर्ड के अधिनियमों और नियमों में दिए गए कार्यो क
		निर्वहन करेंगे तथा साथ ही समय-समय पर बोर्ड द्वारा उन्हें
		प्रत्योजित शक्तियों का उपयोग करेंगे।
7	वेतन एवं भत्ते	चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के
		दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्याु 6/8/2009-
		स्थानपना (वेतन ॥) {समय-समय पर यथा-संशोधित} की शर्तों के
		अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित
		करने अयवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत
		कराने का विकल्प(होगा।
8	पद के लिए आवश्यक	5 5 5
	अर्हताएँ, अनुभव और	(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
	पात्रता	अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा स्वायत निकाय
		अथवा साविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी-
		(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में जो नियमित आधार पर सदृश्य
		पद धारण किए हुए हैं; अथवा
		(ii) मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 (1,44,200
		2,18,200/-) रूपये अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधा
		पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा दी हो; और
		(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव होः
		(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग व
		स्नातक की डिग्री।
·		(ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में निरीक्षण य
		आयोजना या डिजाइन या कार्यान्वकयन या संचालन या अनुरक्षण या पर्यावरण अथवा प्रशासन अथवा प्रबंधन में 18 वर्ष का अनुभव
		्या ययावरण जयवा प्रशासन जयवा प्रबंधन न १० वर्ष का जनुन और
		, जार (iii) बाढ प्रबंधन या नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्यों अथवा सामान्य
		प्रशासन हेतु मास्टर योजनाओं या व्यापक योजनाओं को तैया
		करने में 18 वर्ष का अन्भव।
		। (ख) अखिल भारतीय सेवा अधिकारी:

÷

•

.

. .

• . ,				
• •				. •
-			 i. नियमित्त आधार पर केन्द्र सरकार या राज्यि सरकार में सहश्ये पद धारण किए हुए हैं: अथवा ii. वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 (1,44,200-2,18,200/-) रूपये अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा दी हो; और iii. जल संसाधन विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में निरीक्षण या आयोजना या डिजाइन या कार्यान्वयन या संचालन या अनुरक्षण या पर्यावरण अथवा प्रशासन अथवा प्रबंधन में 18 वर्ष का अनुमव हो। 	
	9	आयु	किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेरदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे। प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालीन संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम	
			तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

.

•

वितीय सलाहकार के पद के लिए योग्यता मानदंड का विवरण निम्नवत है-

अनलग्नक-॥

पद-2 वितीय सलाहकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संसद के अधिनियम (1980 का 46) के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निकाय ब्रहमपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर लेवल-14 (1,44,200-2,18,200/-) रूपए में वितीय सलाहकार का (01) एक पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य के संक्षिप्त दायित्व

वित्त सलाहकार बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा। वह राजस्व और व्यय से संबंधित सभी मामलों पर बोर्ड को सलाह देगा। उसके पास किसी भी मामले को जिसे वह बोर्ड के ध्यान में लाना अपेक्षित समझे, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। बोर्ड के लेखों के रख-रखाव की जिम्मेदारी उसकी होगी और वह इन लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा करेगा। वह ब्रहमपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के तहत अधीनस्थ विधान के नियम 16 में निर्धारित ऐसी शक्तियों और दायित्वों का भी निर्वहन करेगा।

3. <u>पात्रता मानदड</u>

प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि संविदा सहित):

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अथवा भारतीय रक्षा सेवा लेखा अथवा भारतीय रेलवे लेखा सेवा अथवा भारतीय डाक और तार (वित्त और लेखा सेवा) अथवा भारतीय सिविल लेखा सेवा के ऐसे अधिकारी-

(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हैं; अथवा

(ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13ए (1,31,100-2,16,600/-) रूपए अथवा लेवल-13 (1,18,500-2,14,100/-) रुपए या समतूल्य वेतनमान में नियमित आधार पर दो या तीन वर्ष की सेवा की हो;

(iii) अहर्क चार्टर एकाउन्टेंट अथवा कोस्ट एकाउन्टेंट अथवा एमबीए के साथ केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा साविधिक अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के तहत स्वायत संगठन में कॉपॉरेट लेखों और कॉपॉरेट वित्त मामलों के कार्य में कम से कम 15 वर्ष के अनुभव के साथ वित्त में विशेषज्ञता हो।

4 प्रतिनियकित की अवधि

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि संविदा सहित) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि संविदा सहित) सहित 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. आयु- प्रतिनियुक्ति या अल्प अवधि संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की पात्र सेवां/अनुभव और आयु का निर्धोरण करने के लिए अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त कर दे।

8. चयनित अधिकारी के पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-ii) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत करवाने का विकल्प होगा।

9. <u>अनुलग्नक-IV</u> में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन के रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से <u>60 दिन के अंदर</u>. श्री राजेश कौशिक, अवर सचिव(ई-III), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाना चाहिए। सभी आवेदकों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण ब्यौरे से रहित आवेदन रदद किए जा सकते हैं।

10. सिर्फ ऐसे अधिकारी/अश्न्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) दिए गए प्रपत्र में जीवन वृत (चार प्रति) (ii) कम से कम अवर सचिव श्रेणी के अधिकारी से सत्यापित विगत पाँच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) सतर्कता स्वीकृति (iv) पिछले दस वर्षों के दौरान, अधिकारी पर लगाई गई, यदि कोई हो, बड़ी या छोटी शास्ति का ब्यौरा और (v) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति सलग्न हो। सभी अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज अनुलग्नक-IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार होने चाहिए।

1	पद का नाम	वित सलाहकार, ब्रहमपुत्र बोर्ड
2	पदों की संख्या	01 (एक)
3	वर्गीकरण	समूह 'क' अनुसचिवीय
4	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	लेवल-14 (1,44,200-2,18,100/-)
5	प्रतिनियुक्ति की अवधि	प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित) केन्द्र सरकार के सदृश अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग ने इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की
		अवधि (अल्प अवधि संविदा सहित) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6	पद के कर्तव्य एवं दायित्व	वित सलाहकार बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा। वह राजस्व और व्यय से संबंधित सभी मामलों पर बोर्ड को सलाह देगा। उसके पास किसी भी मामले को जिसे वह बोर्ड के ध्यान में लाना अपेक्षित समझे, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

		बोर्ड के लेखों के रख-रखाव की जिम्मेदारी उसकी होगी और वह
		इन लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा करेगा। वह ब्रहमपुत्र बोई
		अधिनियम, 1980 के तहत अधीनस्थ विधान के नियम 16 में
		निर्धारित ऐसी शक्तियों और कार्यों को भी करेगा।
7	वेतन एवं भते	चयनित अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक
		17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्थापना
		(वेतन-11) {समय-समय पर यथा-संशोधित} की शर्तों के अनुसार
		अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने
		अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने
		का विकल्प होगा।
8	पद के लिए आवश्यक	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) भारतीय लेखा परीक्षा और
	अर्हताएं, अनुभव और	
	पात्रता	लेखा सेवा अथवा भारतीय डाक और तार (वित्त और लेखा सेवा)
		अथवा भारतीय सिविल लेखा सेवा के ऐसे अधिकारी-
		(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद
		धारण किए हुए हैं; अथवा
		(ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13ए (1,31,100-2,16,600) अथवा
		लेवल-13 (1,18,500-2,14,100) रूपये अथवा समतुल्य वेतनमान
		में नियमित आधार पर क्रमशः दो या तीन वर्ष की नियमित सेवा;
		अथवा
		(iii) अहर्क चार्टर एकाउन्टेंट अथवा कोस्ट एकाउन्टेंट अथवा
		एमबीए के साथ केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा
		सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा सांविधिक अथवा केंद्र सरकार
		या राज्य सरकारों के तहत स्वायत संगठन में कॉर्पोरेट लेखों और
		कॉपरिट वित्त मामलों के कार्य में कम से कम 15 वर्ष के अनुभव
		के साथ वित में विशेषज्ञता हो।
		किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने
		अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और
		यह प्रायौजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह
		चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक
		माह के अंदर कार्यमुक्त कर दे।
9	आयु	प्रतिनियुक्ति या अल्प अवधि संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए
		अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम
	1	तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

. .

.

•

अन्तरनक-|||

सचिव के पद के लिए पात्रता मानदंड का विवरण नीचे दिया गया है-

<u>पद-3: सचिव</u>

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में,संसद के अधिनियम (1980 का 46) के तहत स्थापित सांवधिक निकाय-ब्रहमपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति(अल्पकालीन संविदा सहित) पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 ए (1,31,100 - 2,16,600/-रूपए) में सचिव के 01 (एक) पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य दायित्वों का संक्षिप्त विवरणः

सचिव, बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेगा। वह अध्यक्ष के आदेशों के तहत बोर्ड की बैठकें निर्धारित करेगा और बोर्ड की बैठकों की सूचना जारी करेगा। वह बैठकों की कार्य सूची और प्रत्येक के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां तैयार करेगा और इसे अन्य सदस्यों को परिचालित करेगा। वह प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त तैयार करेगा। सचिव, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त के निर्णयों की सूचना बोर्ड के सदस्यों तथा अन्य प्राधिकरणों को क्षेजेगा। सचिव, बोर्ड के समक्ष महाप्रबंधक द्वारा वितीय सलाहकार के परामर्श से तैयार बजट प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

3. <u>पात्रता मानदंड</u>

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित): केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राज्य विद्युत बोर्ड अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा सांविधिक संगठनों या स्वायत निकार्यों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी:

(क) (क)(1) मूल संवर्ग अथवां विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; अथवा

(II)वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (1,23,100 - 2,15,900/- रु.) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा

(III)वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के ग्रेड (78,800 - 2,09,200/- रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो:-

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से सिविल इंजीनियरी में डिग्री; और

 जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और सामान्य प्रशासन में विशेषजता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में 12 वर्षों का अनुभव अथवा

(ख) (1) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (1,23,100 - 2,15,900/- रु.) में केंद्र सरकार या राज्य सरकार में पदधारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जिन्हें 12 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो; अथवा

(11) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 (78,800 - 2,09,200/- रू.) में केंद्र सरकार या राज्य सरकार में पदधारित छह वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जिन्हें 12 वर्ष का प्रशासनिक अन्भव हो।

टिप्पणी: - फीडर ग्रेड में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

4. <u>प्रतिनियुक्ति की अवधिः</u>

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्र सरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सहित पांच (05) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. <u>आयुः</u>

प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्ति किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु निर्धारण की अंतिम तारीख आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा कार्यभार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी के नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे।

8. चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा ।

9. अनुसरनक-IV में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन, यह परिपत्र जारी होने अथवा रोंजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से <u>60 दिन के भीतर</u>, श्री राजेश कौशिक, अवर सचिव(ई-III), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाने चाहिए। सभी आवेदनों की जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गई संपूर्ण विवरण से रहित आवेदनों को रदद कर दिया जाएगा।

10. मात्र ऐसे अधिकारी/अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) प्रपत्र में दिए गए प्रपत्र में जीवन-वृत्त (चार प्रति) (ii) अवर सचिव अथवा इससे उपर के स्तर के अधिकारी से सत्यापित विगत पांच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) सतर्कता स्वीकृति (iv) प्रपत्र के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान लगाई गई, बड़ी या छोटी शास्ति, यदि कोई हो, का विवरण और (v) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो। सभी अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज <u>अनुलग्नक-IV</u> में दिए गए प्रारूप के अनुसार होने चाहिए।

1.	पद का नाम	- 1:	सचिव, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, सांविधिक निकाय
2.	पदा की संख्या	:	01 (एक)
З.	वर्गीकरण	:	समूह 'ए' अनुसचिवीय
4.	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 ए (1,31,100 - 2,16,600/- रू.)
5.	प्रतिनियुक्ति की अवधि	:	प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सामान्यतया केन्द्र सरकारके विभागों के समान अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि

				(अल्पकालीन संविदा समेत) सहित; 5 वर्ष से अधिक नहीं
				होगी।
	6.	पद के कर्तव्य एवं जिम्मेदारी	:	सचिव, बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणा के अधीन रहेगा। वह
				अध्यक्ष के आदेशों के तहत बोर्ड की बैठके निर्धारित करेगा
				और बोर्ड की बैठकों की सूचना जारी करेगा। वह बैठकों की
				कार्य सूची और प्रत्येक के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां
				तैयार करेगा और इसे अन्य सदस्यों को परिचालित करेगा।
	- '			वह प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त तैयार करेगा।
				सचिव, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त के निर्णयां की
				सूचना बोर्ड के सदस्यों तथा अन्य प्राधिकरणों को भेजेगा।
				सचिव, बोर्ड के समक्ष महाप्रबंधक द्वारा वितीय सलाहकार
		•		के परामर्श से तैयार बजट प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए
				प्रस्तुत करेगा।
	-			
	7.	वेतन एवं भत्ते	:	चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के
				दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्थापना
				(वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार
				अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित
				करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना
				वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा ।
	8.	पद के लिए अपेक्षित योग्यता,		प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित):केन्द्र सरकार
•		अनुभव और पात्रता		अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या
	- 1			राज्य विद्युत बोर्ड अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा
				सांविधिक संगठनों या स्वायत निकार्यों या विश्वविद्यालय
				या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी:
				(क) (क) (1) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर पटका पर पर के अधारा
				आधार पर सदृश पद पर हों; अथवा
				(ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (1,23,100 - 2,15,900/- रु.) में दो वर्ष की नियमित सेवा के
				2,73,3007 रु.) न दो पेप फो नियमित सबा क साथ पद पर हो; अथवा
				(iii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 के ग्रेड (78,800
				- 2,09,200/- रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा
				के पद पर हों; और
				(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अन्भव
				होः-
				(।) मान्यता प्राप्त विश्वविदयालय अथवा
		· ·		समकक्ष से सिविल इंजीनियरी में डिग्री;
н н П				और
I		L	1	السيريني - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

••

• •

....

	. ·	(II) जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और सामान्य प्रशासन में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में 12 वर्षों क अनुभव अथवा
		(ख) (i) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (1,23,100 2,15,900/- रु.) में केंद्र सरकार या राज्य सरकार में पदधारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जिन्हें 12 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। अथवा
		(II) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 (78,800 2,09,200/- रु.) में केंद्र सरकार या राज्य सरकार में पदधारित छह वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जिन्हें 12 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।
		टिप्पणी: - फीडर ग्रेड में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सौधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविद सहित) आधार पर नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस
		लेने अथवा कार्यभार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी के नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे।
9.	आयु	: प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालीन संविदा सहित द्वार नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नही होगी।

•

-

· · ·

अनुलग्नक-IV

जीवन-वत्त प्रपत्र

- नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)
 टेलीफोन नंबर :
- 2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में):
- 3. केन्द्र सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख:
- शैक्षिक योग्यताएं:
- 5. क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताए रखते हैं (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)।

अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/ अनुभव
अनिवार्य	
वाछित	

- 6.
- कृपया स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षाएं पूरी करते हैं।
- 7.

कालक्रमानुसार रोजगार के ब्यौरे (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हैं तो अपने हस्ताक्षर दवारा भली-भांति अधिप्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें।)

कार्यालय/संस्था/संगठन	धारित पद	कब से	कब तक	वेतन बैंड में	दायित्वों का
	और सेवा/			वेतन और	स्वरूप
	कैडर जिससे			पद का	
	यह संबंधित			वर्गीकरण	
	क्रीटः				

8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात,

(i) নবর্থ

(II) स्याई/अस्थाई आधार पर

(ili) वेतन बैंड में वेतन

(iv) आहरित ग्रेड वेतन

9. वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें

(क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख

(ख) प्रतिनिय्क्ति/अनुबंध पर निय्क्ति की अवधि

(ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम

10. वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण। कृपया बताए कि आप किसके अंतर्गत कर्य कर रहे है:

- (क) केन्द्र सरकार
- (ख) राज्य सरकार
- (ग) स्वायत्त संगठन
- (घ) सरकारी उपक्रम
- (ङ) विश्वविद्यालय
- क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हा, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें
- 12. वर्तमान में आहरित कुल मासिक परिलब्धियां:
- 13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लैखित करना चाहते हों । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें।
- 14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं
- 15. अभ्युक्तियां

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना उसके सेवा रिकार्ड से सत्यापित कर ली गई है और सही पायी गयी है।

मूल कार्यालय के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रति हस्ताक्षर मोहर सहित

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है है कि डा./श्री/श्रीमती/सुश्री.....के पद के लिए आवेदन किया है, के विरूद्ध न तो ------ में प्रतिनियुक्ति आधार पर ------ के पद के लिए आवेदन किया है, के विरूद्ध न तो कोई सतर्कता निकासी अथवा अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक कार्रवाई लंबित है और न ही शुरू किए जाने का विचार है।

> (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) नाम और कार्यालय की मोहर दिनांक

	- ·	•	शास्त	्रमा	ण-पत्र			•	• '			
प्रमाणित	किया जाता है	कि डा./श्री/श	ीमती/सुश्री						.जिन्होंन	ने		
	में प्रतिनियुवि	त के आधार	पर	- के	पद के	लिए	आवेदन	किया	है, पर	पिछले	10	वर्षो
में कोई ब	डी/छोटी शासि	त नहीं लगार	ो गयी है।									
		·						(प्राधिकृ	त हस्ता	क्षरव	न्ती)

नाम और कार्यालय की मोहर दिनांक :

सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र

डा./श्री/श्रीमती/सुश्री.....में प्रतिनियुक्ति के आधार पर -----में प्रतिनियुक्ति के के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा में कोई संदेह नहीं है। (उपसचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं) नाम और कार्यालय की मोहर:

दिनांक :